

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्री ईश्वरलाल बैरवा

बनाम

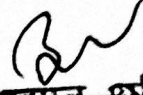
श्री अमरचन्द बलाई वगै0

धारा 111-128 एल0आर0ए

मुकदमा 20 / 2022

Online No. 2022/46

10.01.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-20/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. ईश्वरलाल पिता गंगाराम बैरवा निवासी देवखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा।

-प्रार्थी

बनाम

- 1 अमरचन्द पिता हजारी बलाई निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
- 2 श्री सुखा पिता धन्ना बलाई निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
- 3 अशोक कुमार पिता ओमप्रकाश ब्राह्मण निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
- 4 श्री खातून पिता सुलतान मुसलमान निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
- 5 श्री जैराम पिता हरलाल बलाई निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
- 6 श्री नन्दा पिता हरलाल बलाई निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
- 7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 10.01.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू0अ0नि0 दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 1396/14 रकबा 1.8968 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू0अ0नि0 दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 1396/14 रकबा 1.8968 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू0अ0नि0 दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 1396/14 रकबा 1.8968 हैक्टर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 400/- रुपये तहसीलदार भीलवाड़ा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक दांथल 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगद्दी की जावे। पत्थरगद्दी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में कमिश्नर प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगद्दी कार्य नहीं किया जावे।

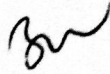
अतः भू0अ0नि0 दांथल जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगद्दी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगद्दी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।


(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा